न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

वर्ष 2021

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 07/21

GCMS No- 2021/ 31

बउनवानीः–1. केदार सिंह पुत्र औंकार सिंह पूर्विया निवासी भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा

2. कैलाशी देवी पत्नि केदार सिंह पूर्विया निवासी भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईट टू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.66, ख0न0 1271 रकबा 0.16, ख0न0 1277 रकबा 0.37 है0, मे स्थित पौधो की कम आयु का अवार्ड देने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील प्रार्थी

2. श्री तुलसीराम शर्मा — नायब तहसीलदार पैराकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांकः– 5.3.2024

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की अवाप्तशुद्वा खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.66, ख0न0 1271 रकबा 0.16, ख0न0 1277 रकबा 0.37 है0, मे स्थित पौधो की कम आयु का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस कमांक/एन.एच.148एन/2019/181/ दिनांक 2.8.2019 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की अवाप्तशुद्वा खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.66 है ख0न0 1271 रकबा 0.16 है0 ख0न0 1277 रकबा 0.37 है0, प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर स्थित पौधो की आयु 6–7 वर्ष है किन्तु का अवार्ड राशि 2 व 3 वर्ष की आयु से देने बाबत जारी नोटिस कमांक/एन.एच.148एन/2019/181/दिनांक 2.8.2019 को प्राप्त हुआ है ... ख0न0 1270 की भूमि पर 150 अमरूद के पौधे जिनकी आयु 6 वर्ष से अधिक ... ख0न0 1271 मे लगे हुए 203 पौधो की आयु 7 वर्ष होने बाबत किये गये ... 1270,1271,1277 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2069 से 2076 पेश की गयी जिसमें सम्वत 2071 व 2073 में ... है इसलिए सही आयु का अवार्ड दिलवाने हेतु वकील प्रार्थी द्वारा ... में निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:21:26 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ॰ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को एवं दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को प्रकाशन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3(ए) के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी–1* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.66 है ख0न0 1271 रकबा 0.16 है0 ख0न0 1277 रकबा 0.37 है0, प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमे से क्रमश 1270 मे से 0.371 है0 व 1271 मे से 0.064 है0 भूमि अवाप्ति की गयी है तथा उक्त भूमि ख0न0 1270 मे 90 अमरूद तथा 1271 मे 130 अमरूद के पेडो की आयु 3 वर्ष मानते हुए तथा ख0न0 1270 मे 60 अमरूद तथा 1271 मे 73 अमरूद के पेडो की आयु 2 वर्ष मानते हुए ख0न0 1270 पर लगे हुए अमरूद के पौधो के लिए क्रमश राशि 3,42,900/–रू, 2,28,600/–रू तथा ख0न0 1271 पर लगे हुए अमरूद के पौधो के लिए क्रमश 4,95,300/–रू एवं 2,78,000/–रू एवं 1271 पर लगे हुऐ एक नीम के पेड का 1522/–रू अवार्ड जारी किया गया है। किन्तु अवार्ड राशि मे आपसी विवाद होने के कारण माननीय जिला न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के यहॉ रैफरेन्स बनाकर पेश कर रखा है। पैरोकार द्वारा यह तर्क भी दिया अमरूद के पौधो की आयु का नियमानुसार सर्वे कमेटी से सर्वे करवाया जाकर ही अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ख0न0 1270 की खसरा गिरदावरी में सम्वत् 2071 से 2076 मे अमरूद का बगीचा अंकित है अर्थात 2014–15 मे बगीचा लगाया है एवं 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को जारी होने तक उक्त पौधो की आयु 3–4 वर्ष बनती है, ख0न0 1271 एवं 1277 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2073 (वर्ष 201[illegible]) [illegible] अमरूद का शिशु बगीचा अंकित है इसलिए 3ए की अधिसूचना जारी होने तक पौधो की [illegible] 2 [illegible] है [illegible] प्रकार जारी उक्त अवार्ड मे अमरूद के पौधो की आयु [illegible] इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत है [illegible] प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:21:26 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.66 है ख0न0 1271 रकबा 0.16 है0 ख0न0 1277 रकबा 0.37 है0, प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमे से कमश 1270 मे से 0.371 है0 व 1271 मे से 0.064 है0 भूमि अवाप्ति की गयी है उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के पौधो की आयु 7 वर्ष होने के बावजूद भी उक्त पौधो की आयु 2 एवं 3 वर्ष मानते हुए अवार्ड जारी किया गया है। पैरोकार के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ख0न0 1270,ख0न0 1277 की खसरा गिरदावरी में सम्वत् 2071 से 2076 (वर्ष 2014) मे अमरूद का बगीचा अंकित है इसलिए 3(ए) की अधिसूचना जारी होने की दिनांक 21.8.2018 तक उक्त पौधो की आयु 4 वर्ष होती है एवं ख0न0 1271 की खसरा गिरदावरी सम्वत,2073 (वर्ष,2016) में अमरूद का शिशु बगीचा अंकित है इसलिए 3(ए) की अधिसूचना जारी होने तक उक्त ख0न0 पर स्थित अमरूद के पौधो की आयु 2 वर्ष बनती है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड मे अमरूद के पौधो की आयु सही होने के कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ख0न0 1270,1277 की खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त ख0न0 पर लगे हुए अमरूद के पौधो की आयु 4 वर्ष मानी जा सकती है किन्तु शेष ख0न0 1271 पर लगे हुए अमरूद के पौधा की 2 से 3 वर्ष ही बनती है। प्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2069 से 2076 के अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार उक्त पौधो की आयु 7 वर्ष मानी जा सके है। प्रार्थी को ख0न0 1270 मे 90 अमरूद तथा 1271 मे 130 अमरूद के पेडो की आयु 3 वर्ष मानते हुए तथा ख0न0 1270 मे 60 अमरूद तथा 1271 मे 73 अमरूद के पेडो की आयु 2 वर्ष मानते हुए ख0न0 1270 पर लगे हुए अमरूद के पौधो के लिए कमश राशि 3,42,900/–रू, 2,28,600/–रू तथा ख0न0 1271 पर लगे हुए अमरूद के पौधो के लिए कमश 4,95,300/–रू एवं 2,78,000/–रू एवं 1271 पर लगे हुऐ एक नीम के पेड का 1522/–रू अवार्ड जारी किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी के कथन के अनुसार अवार्ड राशि को लेकर आपसी विवाद के चलते माननीय जिला न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के यहाँ रैफरेन्स बनाकर पेश कर रखा है किन्तु ख0न0 1270,1277 की प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 के अनुसार उक्त ख0न0 पर स्थित प्रार्थी के पौधो की आयु 4 वर्ष हो सकती है। ऐसी स्थिति में ख0न0 1270,1277 पर लगे हुए अमरूद के पौधो के अवार्ड का पुनः परीक्षण करवाया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र ख0न0 1270 व 1277 पर लगे हुए अमरूद के पौधो की आयु की सीमा तक स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि ख0न0 1270,1277 पर लगें हुए अमरूद के पौधो की आयु के संबंध में प्रार्थीगण को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिया जावे एवं मूल खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया जावे तथा सर्वे कमेटी की [illegible] जाकर पुनः विधिसम्मत अवार्ड पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:21:26 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner